Shodhpith
International Multidisciplinary
Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)
Volume: 1 Issue: 4 July-August 2025

संगठित क्षेत्र में कार्योजित महिलाओं के प्रति बदलते परिवार का दृष्टिकोण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कृष्ण मोहन
शोधार्थी समाजशास्त्र, अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर, कानपुर देहात

डॉ0 रश्मि पाण्डेय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर डिग्री कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात

सारांश

कार्योजित या श्रमिक महिलायें आज भी अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकी हैं और न ही भारतीय समाज उनके स्वतन्त्र अस्तित्व को मानता है। आज भी उन्हें आत्म निर्णय का अधिकार नहीं है यह इस देश की विडम्बना ही है कि देश को आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी महिलायें आत्मनिर्णय करती नहीं दिखलायी पड़ती है विशेषकर वह महिला जो स्वयं कार्य करती हो धन कमाती हो लेकिन स्वयं पर खर्च करने का अधिकार न रखती हो। एशिया महाद्वीप के कुछ अविकसित देशों में महिला श्रमशक्ति धीरे–धीरे औद्योगिक विकास के संवाहकों में देखी जाने लगी है लेकिन फिर भी एक सत्य यह भी हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिला श्रम की सहभागिता इन देशों में काफी कम है। जब भारतीय सन्दर्भ में देखते है तो हम पाते है कि ऐतिहासिक विकास के साथ–साथ इनकी जीवनशैली में अंशात्मक सुधार हुआ है। आज यह आवश्यक है कि उत्पादन संरचना जैसी भी हो महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचित किया जाय। आज के समय में भारतीय नारी ने बड़े बदलाव के रूप से कदम रखा है। सामूहिक स्तर पर भारत में मध्यम या इससे इतर श्रेणियों की महिलाओं में व्यापक बदलाव नजर आते हैं डाक्टर, नर्स, प्राध्यापिका, विमान परिचालिका व सेल्सगर्ल के विशिष्ट परम्परागत व्यवसायों से हटकर शनैः शनैः नारी ने नये एवं परम्परागत जगहों में किया है। व्यवसाय में काम करने से उसके अनुभव बढे हैं। घर के बाहर का यथार्थ उसे स्व अनुभव से मिला है। संस्कारगत व सांस्कृतिक आयाम नारी को उसे अभी भी पूर्णरूपेण आबद्ध किये हुए है। भारतीय महिला परिवार तोड़ने को तत्पर नहीं है इसी कारण वह शिक्षा एवं व्यवसाय के माध्यम से ज्ञान सूचना व आर्थिक आधार प्राप्त करके भी गृहस्थ जीवन के भावनात्मक एवं सम्बन्धात्मक परिधियों से बंधी हुई है। अतः गृहस्थ कार्य को त्यागे बिना भारतीय नारी ने व्यवसायिक कार्यों को भी अपनाया है उसकी भूमिका के विस्तार ने उस पर दोहरे भार थोपे हैं। भारतीय पुरुष की मानसिकता में गृहकार्य में योगदान का मान्य व समाज स्वीकृत पक्ष प्रत्यक्ष रूप से अथवा संस्कृति सम्मत आधार पर निर्मित नहीं हुआ है। सामन्जस्य एवं समझौते की परिस्थितियों में एक ऐसा स्वरूप उभरकर आया है जिसे परम्पराओं का आधुनिकीकरण कहा जा सकता है। महिलायें अब हर दिशा में संगठित हो रही हैं अपने नागरिक अधिकारों के लिए वह लड़ रही हैं समाज और परिवार में सुरक्षित स्थिति के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार के लिए नियम बनाये जा रहें हैं। ऐसे प्रयास हो रहे है कि समस्याओं के समाधान में महिलाओं की सहभागिता बढ़े आज विज्ञान समाज–कल्याण, उद्योग, व्यापार, नौकरी,

ट्रेड यूनियन हर जगह महिलाओं का बोलबाला हैं वे जिम्मेदारी के साथ महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं तथा उन्होंने इन सभी जगहों में अपनी योग्यता का परिचय दिया है उसने उस पुरातन धारणा को भी बदल कर रख दिया कि नारी पुरुष से हीन मानसिक स्तर की है। महिलाओं की ये समस्त उपलब्धियाँ आगे आने वाली उपलब्धियों के द्व ार खोलने वाली हैं इसलिए यह अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है नारी अधिकार प्राप्त करके अधिकारों के साथ जुड़े उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी बड़ी अच्छी तरह से कर रही है लेकिन अभी भी उसे सामाजिक सहभागिता के लिए लड़ाई लड़नी होगी जो उसके प्रगति के द्वार को खोलने वाली होगी।

प्रस्तावना

व्यावसायिक अंतःक्रिया एवं सम्बन्ध विस्तार के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि व्यावसायिक गतिविधियों में इनके आने से अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। महिलाओं से कितना काम ले उनका वेतन इत्यादि जहाँ तक महिलाओ के काम करने के अधिकार को संविधान ने मान्य किया है और इसी तरह कानून महिलाओं के लिए सभी व्यवसायों के द्वार खोले हैं। आज महिलायें लगभग सभी तरह के धंधे और व्यवसायों में दिखाई पड़ती है कुछ व्यवसाय में कम महिलायें तथा कुछ में ज्यादा अनुपात में महिलायें दिखलायी पड़ती है हमारे समाज में जहां कुछ दशक पहले तक एक निश्चित समय के पश्चात् घर से निकलने पर प्रतिबन्ध था बाहरी व्यक्तियों से महिलाओं का किसी तरह से कोई मेल–मिलाप नहीं था उनका अधिकांश समय गृह कार्य में ही व्यतीत होता था ऐसी स्थिति में आज जब वे नौकरी, व्यवसाय करती हैं तो यह आश्चर्य की बात लगती है। व्यावसायिक प्रवेश के बाद भी महिलायें अभी भी ज्यादातर घर की तथा बालकों की देखभाल के साथ ऐसे धंधों में काम करती हैं, जिसमें जबरदस्त थकावट, श्रम, अरुचिकर वातावरण और क्षमता से ज्यादा समय तक कार्य करने होते हैं। अभी भी अधिकांश क्लर्क या शिक्षिका के रूप में कार्य करती दिखाई पड़ती है व्यापार हो पत्रकारिता या कानूनी धंधा हो आदि में बहुत कम महिलायें कार्यरत हैं। अल्वा मिर्डल तथा वायोला क्लयान अपनी पुस्तक वीमेंस टू रोल्स में लिखती हैं– प्रशिक्षण प्राप्त तथा व्यावसायिक ऐसे सब धन्धों की परिधि में कार्य का वितरण लैंगिक आधार पर हुआ हो ऐसा दिखाई पड़ता है महिला स्वातंत्र्य का केवल इतना प्रभाव दिखाई पड़ता है। कि परम्परा से जो व्यवसाय पुरूष वर्ग हेतु माने जाते थे उन्हें छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है यद्यपि इधर कुछ समय से परम्परागत पुरूष क्षेत्र में इनका छुटपुट अस्तित्व दिखाई पड़ता है महिलाओं के वेतन को देखे तो जिन–जिन व्यवसायों में महिलाओं का प्रवेश हुआ है उन सभी में वेतन का स्तर कम ही नहीं असमान भी है बहुधा यह देखा जाता है कि नौकरियों में हिसाब में लिखे जाने वाले वेतन और वास्तविक वेतन में बहुत बड़ा अन्तर रहता है व्यक्तिगत या निजी दफ्तरों में पुरूष और महिला कर्मचारी के वेतन में अंतर होता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों या संगठित संस्थाओं में पुरूष और महिला कर्मचारी के वेतन में अंतर नहीं रखा जाता है। भारत में व्यवसायरत महिलाओं के लिए प्रसूतिकालीन अवकाश, शिशु पालना घर उपयुक्त वातावरण, पेंशन इत्यादि सुविधायें किसी दिवास्वप्न से कम नहीं है। यह सही है कि समाज की दृष्टि से महिला की महत्ता अनन्य है। यह समाज सुचारू रूप से चल सके। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और प्रतिकूल सामाजिक वातावरण के कारण किसी नौकरी व्यवसाय धंधे घर या घर के बाहर किसी प्रकार की अड़चन या बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए व्यवसाय हेतु जैसे–जैसे विवाहित महिला बाहर आये वैसे–वैसे यह आवश्यक है कि समाज बच्चों की देखभाल की व्यवस्था अपने कंधे पर ले लें। इनको घर के कार्य का बोझ भी उठाना पड़ता है अतः इनका दोनों तरफ से शोषण होता है पूरे दिनभर काम में संलिप्त महिला जब घर की दहलीज पर कदम रखती है तभी से शुरूआत होती है बालकों की देखभाल कपड़े धोना, सीना–पिरोना, रसोई आदि के कार्य भी उसे करने पड़ते है।

इस सन्दर्भ में अध्ययन के महत्व का आकंलन आसानी से किया जा सकता है। यह अध्ययन कानपुर देहात जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कार्योजित महिलाएँ विशेषकर महिला शिक्षिकाओं पर आधारित है। इस अध्ययन में महिला पर आधुनिकता के प्रभाव के सन्दर्भ में उन आधारों पर प्रकाश डालता है जिसने महिलाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं के प्रवेश से समाज में विचार. कों का एक नया वर्ग पैदा हुआ जब ज्यादातर परिवारों की महिलायें आर्थिक कारणों से निकली तो नवीन सुधारक वर्ग ने इस विधान का विरोध किया उनका यह मानना है कि घर–गृहस्थी ही उसका मुख्य काम है। पहले जहां महिला घर के अन्दर काम करती थी वह अब घर के बाहर भी काम करती हैं। वह अपने परिवार, नाते–रिश्तेदार, आस–पड़ोस और अपने कार्य स्थल पर अपने मालिक/अधिकारी, सहकर्मी अधीनस्थ कर्मचारियों आदि से साथ

मजबूती से खड़ी है। अब उसके सम्बन्ध व्यक्ति के व्यवहार व उसकी अन्तःक्रियाओं के आधार पर बनते विकसित होते और बिगड़ते रहते है इस प्रकार के सम्बन्धों में परस्पर स्नेह, आत्मीयता और सम्बन्धों की पारस्परिकता जैसे तत्व आधारशिला के रूप में कार्य करते है। जब कोई महिला बाहर काम पर जाती है दूसरों के सम्पर्क में आती है नए अनुभव प्राप्त करती है नई–नई चीजों नई–नई बनी सामाजिकता में रूचि लेने लगती है तथा अपने मन को अधिक उदार बनाती है डॉ0 रजनीकांत दास का कथन है कि अपने जन्मभूमि से दूर एवं स्वतंत्र तथा विशाल औद्योगिक–केन्द्र, सामाजिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने में सहायक होते हैं नए विचार उत्पन्न करते है तथा अधिक शैक्षणिक सुविधायें जुटाते है ये सब तत्व महिला के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करते है। पुरूषों को चाहिए कि उनका विरोध न करके कार्योजित महिलाओं की जो परेशानियाँ है उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जिससे उनके मन को कष्ट न हों और वे समाज का उत्पादन कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

व्यावसायिक अनुभव, कार्यदशायें एव सामाजिक समायोजन से स्पष्ट है कि महिला में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है जहाँ पुरूष काम से वापस आकर घर पर आराम करता है वही एक महिला को कामकाजी चोला त्याग कर एक माँ, पत्नी और बहू बन जाना पड़ता है जहाँ एक तरफ निम्न वर्ग की महिलायें सामान्यतया कारखानों तो वही मध्यम वर्ग की नौकरियाँ करती है। हालांकि यह भी सही है कि घर में रहकर भी महिलायें 15 से 16 घण्टे तक हाड़–तोड़ मेहनत करती है। कार्योजित महिलायें घर पर जो काम करती है वह अदृश्य श्रम होता है हमारा समाज उनके घरेलू कार्यो को नहीं गिनता है। इनके विषय में केवल नकारात्मक तथ्य ही नहीं है बल्कि कुछ सकून देने वाले तथ्य भी है वर्तमान समय में पहले से ज्यादा संख्या में महिलायें बाहर निकलकर तरह–तरह की नौकरियों व कार्यो में नियोजित हो रही है तथा कुछ स्वरोजगार में भी अपनी सफलता के झण्डे गाड़ रही है। अलग–अलग कार्य करके उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया इसकी चर्चा आवश्यक है। वर्तमान में देखे तो हम पाते है कि कुछ क्षेत्र जैसे मीडिया, होटल, प्रबंधन और विज्ञापन में महिलायें बेहद अहम भूमिका अदा कर रही है जिस तेजी से कार्यालयों में इनकी बढ़ोत्तरी है, वैसे ही बढ़ रही है उनकी समस्यायें। सबसे बड़ी समस्या है असुरक्षित माहौल की। अब यह मिथक भी टूट गया है कि महानगरों में ही कार्योजित महिलायें अधिक है। गांवों में अभी भी यदि किसी काम के बदले 10 रूपये मिलते है तो उस काम के बदले महिला मजदूर को मात्र 6 रूपये ही मिलते है। आज अनुकूल परिस्थितियाँ न होने पर भी महिलायें कठिन श्रम कर रही है उन्होंने स्वयं को अन्याय के विरूद्ध खड़ा किया है पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया और आय के नए मार्गो को निर्मित किया। महिला हर दिन जीवित रहने के संघर्ष में व्यस्त है अत्यधिक गरीब परिवार महिला की उत्पादकता पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए ये परिवार करीब–करीब केवल महिला की कमाई पर ही निर्भर है यह भी एक वास्तविकता है कि उन्होने धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ समस्याओं का सामना किया और अपनी सकारात्मक पहचान और ताकत को अपने कार्य द्वारा प्रसारित किया। कार्यदशायें कैसी भी रही हो चाहे वह कार्योजित महिला के अनुकूल हो या प्रतिकूल लेकिन इन्होंने कार्य की दशाओं के साथ तालमेल स्थापित किया है। सामाजिक समायोजन नारी उत्थान हेतु जरूरी है। आर्थिक रूप से दृढ़ नारी ही मानसिक दृढ़ता प्राप्त करती है। हमारे आपस के सम्बन्ध का आधार आर्थिक आधार पर ही टिका है। जैसे–जैसे महिलाओं के कार्यक्षेत्र की लक्ष्मण रेखा मिटती जाती है वैसे–वैसे वह नवीन कर्तव्य संभालने की स्थिति में आती है। पुरूष अकेला हो सकता है परन्तु महिला के लिए अकेलापन एक प्रकार का निर्वासन दण्ड बन जाता है नारी ने अपने वर्गगत अधिकारों के लिए संघर्ष न कर सम्पूर्ण राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया लक्ष्मीबाई प्रथम मुक्ति संग्राम की सेनानी, सशस्त्र क्रांति की अनेक जानी–अनजानी क्रांति–कारिणियाँ, आजाद हिन्द सेना की नारी सैनिकाएँ तथा द्वितीय स्वतंत्रता आन्दोलन की नेत्रियाँ सबका संघर्ष तथा आत्मोसर्ग पूरे देश की मुक्ति के लिए था। महिला शिक्षित सुस्कृत और कला कुशल होने पर भी अंलकार मात्र है उसे न गृहस्थी के लिए, न संतान के लिए श्रम की आवश्यकता है उच्च मध्यम वर्ग सम्पन्न वर्ग से दूर होकर भी उसके समान दिखने की भावना से ग्रस्त रहता है और निम्न मध्यम वर्ग सर्वहारा के समीप होकर उससे दूर दिखने के आडम्बर में व्यस्त है इस प्रकार मध्यम वर्ग में कही परम्परायें टूटती है और कही बनती हैं जिसके कारण समाज का विकास या ह्यस बहुत कुछ इसी वर्ग पर निर्भर रहता है यदि हम पिछले कुछ दशकों में देखे तो नारी के सामने ऐसा व्यापक तथा

मुक्त क्षितिज नहीं आया जैसा आज है उसे स्वतंत्र रूप से किसी दिशा या मार्ग को चुनने का अधिकार विगत दशकों में नहीं था आज के संदर्भ में हम पाते है कि नारी केवल माता, पत्नी आदि सम्बन्धों के द्वारा ही अपना परिचय नहीं देती वह अपने आपको राष्ट्र या समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी उपस्थित करती है।

भारतीय समाज की पारम्परिक सोच रूढ़िवादी मानसिकता, ऊँच–नीच की भावना ने महिलाओं को दोहरी त्रासदी झेलने के लिए विवश किया है। महिलाओं की समस्यायें प्राचीन काल से लेकर अब तक समाज में ज्यों की त्यों बनी रही। वर्तमान समय में उन्हें समाज में फैली अनेकों बुराईयों का सामना करना पड़ रहा है। पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत भेद, निर्धनता, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धर्मान्धता, अशिक्षा, क्षेत्रीयता, नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, पारिवारिक हिंसा, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण एवं यौन शोषण आदि कारणों से उनकी समस्यायें दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण ये अनेकों प्रकार की कुण्ठाओं, हीन भावनाओं व मानसिक विकारों से घिरती जा रही हैं। महिलायें इन विषम परिस्थितियों से बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही हैं।

अध्ययन का औचित्य

आज हर समाज में प्रत्येक ओर विकास के भूमण्डलीकरण के नारे लगाये जा रहे है। समाज सुधारक यह मान बैठे है कि समाज के अन्य हिस्सों की तरह महिलाओं की स्थिति भी लगातार बदल रही है। लेकिन गहनतम अध्ययन से इस बात की पोल खुल रही है कि विकास के नाम पर अथवा संवैधानिक अधिकारों के द्वारा होने वाले बदलाव आधुनिक व परम्परगत पढ़ी–लिखी और अनपढ़ महिलाओं के लिए बहुत प्रशंसनीय नहीं है। महिलाओं के जागरूक होने से वे अपने ऊपर अत्याचार को संवैधानिक रूप से कम कर सकती है और यही अधिकार संविधान देता भी है किन्तु परम्परागत पवित्रता और अपवित्रता की धारणा महिलाओं को सामाजिक स्तरीय करण में स्वीकार नहीं करती। समाज में विभिन्न वर्गों के महिलाओं पुरूषों की स्थिति व्यवस्था निर्धारण में कौन–2 से तत्व निर्णायक भूमिका अदा करते है? इस दिशा में सोचने समझने पर हमारा भरतीय समाज धर्म के केन्द्र बिन्दु पर घूमता हुआ दिखाई देता है। जिससे होने वाला प्रत्येक परिवर्तन चक्रीय परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को पूर्ण से पुरूषों के समकक्ष लाने के लिए तैयार नहीं हैं यहाँ यह तथ्य कम महत्वपूर्ण नही है कि भारतीय ग्रामीण समुदायों में आज भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्तर का निर्धारण धन–सम्पत्ति, जाति वर्ग, पवित्रता व अपवित्रता से अधिक किया जाता है, उपलब्धियाँ शैक्षिक व राजनैतिक उतना महत्व नहीं रखती है।

आज सभी देशों के प्रबुद्ध नारियों ने जो विकास किया है उसमें भारत की नारी का भी योगदान है नारी के सम्बन्ध में हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि वह शरीर से दुर्बल है, लेकिन उसने प्रमाणित कर दिया है कि उक्त धारणा के मूल में कोई तथ्य नहीं था अब कुछ नवीन क्षेत्र आजीविका की दृष्टि से नारी के अधिकार में आ गए है आज हमारे देश में इंजीनियर, नौसेना अधिकारी जैसे पदों पर नारी कार्य कर रही है भारतीय नारी अपने हित में बने कानूनों के संबंध में अब तक अनभिज्ञ है उनकी दृष्टि से जो होता आया है वही कानून है। महिला वकीलों की संख्या कम है यह सत्य है परन्तु यदि वे अपनी अज्ञानी बहिनों को विधि का आलोक दे सकेंगी तो उन्हें भावी पीढ़ी को प्रबुद्ध बनाने का श्रेय प्राप्त होगा। भारतीय नारी में जो एक सहज विवेक है वह यदि जाग्रत रहे तो न कोई कर्म क्षेत्र उसके लिए दुर्गम होगा और न कोई कर्तव्य दुरूह।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कार्योजित महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों की जानकारी का अध्ययन करना।
2. कार्योजित महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. कार्योजित महिलाओं में शारीरिक शोषण व हिंसा की समस्याओं का अध्ययन करना।
4. कार्योजित महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध की उपकल्पना

1. कार्योजित महिलाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण अशिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता, दोहरी त्रासदी, असुरक्षा की भावना, भेदभाव तथा आवश्यकता से अधिक कार्य की जिम्मेदारियों का बोझ आदि है।

2. कार्योजित महिलाओं की आर्थिक स्थिति महिलाओं में शारीरिक शोषण व हिंसा की समस्यायें अधिक पायी जाती हैं।
3. कार्योजित महिलाओं में शारीरिक शोषण व हिंसा की समस्याएं अधिक पायी जाती है।
4. कार्योजित महिलाओं का मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर अधिक शोषण होता है।

शोध साहित्य समीक्षा

लीला गुलाटी की महत्त्वपूर्ण पुस्तक ''प्रोफाइल्स इन फीमेल पॉवर्टी हिन्दुस्तान पब्लिकेशन कारपोरेशन' जो 1981 में प्रकाशित हुआ, जिसमें महिलाओं की प्रस्थिति व स्थिति का बखूबी के साथ वर्णन किया है। उन्होंने केरल की पाँच कामकाजी महिलाओं का गहन अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि तीन परिवारों में महिलाएं ही मुख्य उपार्जक थी। परन्तु रोजगार के बावजूद उनके अपने आकलन या सामाजिक सोपान में उनकी हैसियत में कोई सुधार नही हुआ था। स्त्री की निर्भरता तथा अधीनता की धारणा उन क्षेत्रों में भी लागू कर दी गयी जहाँ वास्तव में पुरूष को अपनी जिंदगी के लिए पत्नी की कुशलता पर निर्भर करना पड़ता है। गोविंद केलकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्युशन आन वीमेन्स वर्व पार्टिसिपेशन एण्ड सैक्स रोल्स'' जिसका प्रकाशन 1981 में हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने महिलाओं की विषम प्रतिस्थतियों का विस्तार से वर्णन किया है। अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि हरित क्रांति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों के अपने दिन भर के कामकाज के बाद अपने पति की सेवा भी करनी पड़ती थी। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से खाना परोसना या कभी–कभी परिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता था और इसके लिए उनकी पिटाई भी होती थी। सुधीर कक्कड़ की प्रसिद्ध पुस्तक ''दि इनर वर्ल्ड'' जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के अध्ययन के आधार पर इस बात से अचभित हो गये कि युवतियों में संचति तथा दमित क्रोध ा, बेबस है और सामाजिक मुक्ति के आभाव के कारण इनमें हिस्टीरिया जैसी बीमारियाँ पैदा हो रही है। भारतीय संदर्भ में हिस्टीरिया का रूप निषिद्ध लैंगिक तथा अक्रामक इच्छाओं की प्रेतात्माओं द्वारा हावी हो जाना है। इन अनिष्टकारी प्रेतात्माओं से लड़कियों को छुड़वाने के लिए परिवार के सदस्य अक्सर श्मशान, गुरूओं तथा माताओं के चक्कर लगाने लगते हैं। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि यदि शहरी मध्यम वर्ग के परिवार के किसी सड़वें में कोई मनोरांग जैसे स्कूल में ठीक से न पाये। रोमिला थापर की महत्वपूर्ण कृति ''ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया'' जिसका प्रकाशन 1966 में हुआ, उन्होंने अपनी पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि भारतीय समाज कभी भी स्थिर नहीं रहा है। सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख पारंपरिक मार्ग संस्कृतिकरण, प्रवजन और धर्म परिवर्तन रहे हैं। निम्न जातियाँ और जनजातियाँ सम्पत्ति और राजनीतिक सत्ता हासिल कर जाति अनुक्रम में ऊपर उठी है। वे अपने जीवनयापन में संस्कृतिकरण को अपनाकर स्वयं उच्च जातियों की जीवन पद्धति से होड़ करते हुए और उनके रीति–रिवाजों को अपनाकर उच्च जाति की प्रस्थिति का दावा करती है। समकालीन अवधि में औद्योगीकरण के नए आयामों–नगरी. करण राजनीतिकरण, आधुनिक शिक्षा और कानून व्यवस्था भूमि सुधार विकास कार्यक्रम और निम्न जातियों के लिए सकारात्मक विशेष सरकारी नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जाति व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। टी. ओ. बाइडलमैन की महत्वपूर्ण रचना ''ए कम्पैरिटिव एनालिसिस आफ दि जजमानी सिस्टम'' का प्रकाशन 1959 में हुआ, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि यजमानी व्यवस्था में प्रभुत्ता, शोषण और संघर्ष के तत्व भी शामिल हैं। भूमि पर मिल्कियत रखने वाले प्रभुत्वशाली आश्रयदाताओं तथा सेवा करने वाले गरीब कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच शक्ति के उपयोग में व्यापक अंतर है। धनी और शक्तिशाली यजमान गरीब का शोषण करते हैं और उन्हें अपनी प्रभुता मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वस्तुतः यजमानी व्यावस्था में परस्पर आदान–प्रदान और प्रभुता दोनों ही साथ–साथ मौजूद है। पटेल, अनीता (2019) ''महिला उत्पीड़न का सिलसिला कब तक'' शोध पत्र में महिला उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति और उनके बच्चों के विकास में हिंसात्मक परिवेश में नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है इस लेख में बताया कि स्त्री के प्रति घटित महिला उत्पीड़न में पति, जेठ, ससुर, देवर के अतिरिक्त सार, जेठानी, देवरानी अर्थात पुरूषों के साथ महिलायें भी उत्तरदायी होती है। उनके अनुसार उत्पीड़न के समाधान के लिए स्त्री को चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में सम्पूर्ण शारीरिक एवं भावात्मक साहस के साथ–साथ महिला उत्पीड़न के अनुकूल लें, इससे महिलाओं के प्रति उत्पीड़न में कमी आयेगी।

- शोध पद्धतिः शोध पत्र की प्रकृति मात्रात्मक अनुसंधान है। प्रस्तावित शोध को वर्णनात्मक अनुसंधान के

अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा।

- अध्ययन की जनसंख्याः शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन में कानपुर देहात जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।
- न्यादर्श एवं न्यादर्शनः न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिम्ब रहता है। न्यादर्श प्रविधि शोधकार्य को व्यावहारिक तथा समय, धन, शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बना देती है। शोध पत्र में कानपुर देहात जनपद के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत एवं अकार्यरत 400 महिलाओं को न्यादर्श में सम्मिलित किया, इनका चयन यादृच्छिक न्यादर्शन के आधार पर किया गया है।
- उपकरण का चयनः प्रस्तावित अध्ययन हेतु उपकरण के स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची/प्रश्नावली का शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष : भारत में व्यवसायरत महिलाओं के लिए प्रसूतिकालीन अवकाश, शिशु पालना घर उपयुक्त वातावरण, पेंशन इत्यादि सुविधायें किसी दिवास्वप्न से कम नहीं है। यह सही है कि समाज की दृष्टि से महिला की महत्ता अनन्य है। यह समाज सुचारू रूप से चल सके। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और प्रतिकूल सामाजिक वातावरण के कारण किसी नौकरी व्यवसाय धंधे घर या घर के बाहर किसी प्रकार की अड़चन या बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए व्यवसाय हेतु जैसे–जैसे विवाहित महिला बाहर आये वैसे–वैसे यह आवश्यक है कि समाज बच्चों की देखभाल की व्यवस्था अपने कंधे पर ले लें। इनको घर के कार्य का बोझ भी उठाना पड़ता है अतः इनका दोनों तरफ से शोषण होता है पूरे दिनभर काम में संलिप्त महिला जब घर की दहलीज पर कदम रखती है तभी से शुरूआत होती है बालकों की देखभाल कपड़े धोना, सीना–पिरोना, रसोई आदि के कार्य भी उसे करने पड़ते है। उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग की महिलाओं के प्रवेश से समाज में विचारकों का एक नया वर्ग पैदा हुआ जब ज्यादातर परिवारों की महिलायें आर्थिक कारणों से निकली तो नवीन सुधारक वर्ग ने इस विधान का विरोध किया उनका यह मानना है कि घर–गृहस्थी ही उसका मुख्य काम है। पहले जहां महिला घर के अन्दर काम करती थी वह अब घर के बाहर भी काम करती हैं। वह अपने परिवार, नाते–रिश्तेदार, आस–पड़ोस और अपने कार्य स्थल पर अपने मालिक/अधिकारी, सहकर्मी अधीनस्थ कर्मचारियों आदि से साथ मजबूती से खड़ी है। अब उसके सम्बन्ध व्यक्ति के व्यवहार व उसकी अन्तः क्रियाओं के आधार पर बनते विकसित होते और बिगड़ते रहते है इस प्रकार के सम्बन्धों में परस्पर स्नेह, आत्मीयता और सम्बन्धों की पारस्परिकता जैसे तत्व आधारशिला के रूप में कार्य करते है। जब कोई महिला बाहर काम पर जाती है दूसरों के सम्पर्क में आती है नए अनुभव प्राप्त करती है नई–नई चीजों नई–नई बनी सामाजिकता में रूचि लेने लगती है तथा अपने मन को अधिक उदार बनाती है डॉ0 रजनीकांत दास का कथन है कि अपने जन्मभूमि से दूर एवं स्वतंत्र तथा विशाल औद्योगिक–केन्द्र, सामाजिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने में सहायक होते हैं नए विचार उत्पन्न करते है तथा अधिक शैक्षणिक सुविधायें जुटाते है ये सब तत्व महिला के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करते है। पुरूषों को चाहिए कि उनका विरोध न करके कार्योजित महिलाओं की जो परेशानियाँ है उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जिससे उनके मन को कष्ट न हों और वे समाज का उत्पादन कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें। व्यावसायिक अनुभव, कार्यदशायें एवं सामाजिक समायोजन से स्पष्ट है कि महिला में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है जहाँ पुरूष काम से वापस आकर घर पर आराम करता है वही एक महिला को कामकाजी चोला त्याग कर एक माँ, पत्नी और बहू बन जाना पड़ता है जहाँ एक तरफ निम्न वर्ग की महिलायें सामान्यतया कारखानों तो वही मध्यम वर्ग की नौकरियाँ करती है। हालांकि यह भी सही है कि घर में रहकर भी महिलायें 15 से 16 घण्टे तक हाड़–तोड़ मेहनत करती है कार्योजित महिलायें घर पर जो काम करती है वह अदृश्य श्रम होता है हमारा समाज उनके घरेलू कार्यो को नहीं गिनता है। इनके विषय में केवल नकारात्मक तथ्य ही नहीं है बल्कि कुछ सकून देने वाले तथ्य भी है वर्तमान समय में पहले से ज्यादा संख्या में महिलायें बाहर निकलकर तरह–तरह की नौकरियों व कार्यो में नियोजित हो रही है तथा कुछ स्वरोजगार में भी अपनी सफलता के झण्डे गाड़ रही है। अलग–अलग कार्य करके उन्होंने क्या अनुभव प्राप्त किया इसकी चर्चा आवश्यक है वर्तमान में देखे तो हम पाते है कि कुछ क्षेत्र जैसे मीडिया, होटल, प्रबंधन और विज्ञापन में महिलायें बेहद अहम भूमिका अदा कर रही है जिस तेजी से कार्यालयों में इनकी बढ़ोत्तरी है, वैसे ही बढ़ रही है उनकी समस्यायें। सबसे बड़ी समस्या है असुरक्षित माहौल की। अब यह

मिथक भी टूट गया है कि महानगरों में ही कार्योजित महिलायें अधिक है।

आज सभी देशों के प्रबुद्ध नारियों ने जो विकास किया है उसमें भारत की नारी का भी योगदान है नारी के सम्बन्ध में हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि वह शरीर से दुर्बल है, लेकिन उसने प्रमाणित कर दिया है कि उक्त धारणा के मूल में कोई तथ्य नहीं था अब कुछ नवीन क्षेत्र आजीविका की दृष्टि से नारी के अधिकार में आ गए है आज हमारे देश में इंजीनियर, नौसेना अधिकारी जैसे पदों पर नारी कार्य कर रही है भारतीय नारी अपने हित में बने कानूनों के संबंध में अब तक अनभिज्ञ है उनकी दृष्टि से जो होता आया है वही कानून है। महिला वकीलों की संख्या कम है यह सत्य है परन्तु यदि वे अपनी अज्ञानी बहिनों को विधि का आलोक दे सकेंगी तो उन्हें भावी पीढ़ी को प्रबुद्ध बनाने का श्रेय प्राप्त होगा। भारतीय नारी में जो एक सहज विवेक है वह यदि जाग्रत रहे तो न कोई कर्म क्षेत्र उसके लिए दुर्गम होगा और न कोई कर्तव्य दुरूह।

प्राप्तियां–

1. दूसरी उपकल्पना ''जितना ही अधिक आर्थिक आत्मरनिर्भरता एवं व्याक्तिवादी मानकों के प्रति कार्योजित महिलाओं का उन्मेष होगा, उतना ही अधिक एकाकी परिवार मूलक प्रवृत्तियों में बढ़ोत्तरी होगी'' सही सिद्ध होती है।
2. तीसरी उपकल्पना जैसे–जैसे कार्योजन की अवधि और कार्य अनुभव में वृद्धि होगी, वैसे ही कार्योजन से समायोजन एवं संतुष्टि में वृद्धि होती है। सही सिद्ध होती है।
3. चौथी उपकल्पना ''कार्यस्थल पर महिलाओं के सहकर्मी एवं उच्च अधिकारियों से जितना ही अधिक अनार्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, उतना ही उनका व्यावसायिक समायोजन के साथ–साथ भूमिका संघर्ष की मात्रा भी प्रभावित होगी'' सही सिद्ध होती है।
4. पांचवी उपकल्पना ''इनको जितना पारिवारिक सहयोग मिलेगा, उतना ही समायोजन में सकारात्मक अभिवृद्धि होगी। सही सिद्ध होती है।
5. छठी उपकल्पना ''इनको जितना अधिक स्वतन्त्रता दी जायेगी, इनका प्रतिनिधित्व अपेक्षतया अधिक होगा। ये परिकल्पना आंशिक रूप से सत्य पाई गयी।
6. पहली उपकल्पना ''जितना ही अधिक कार्योजन सामाजिक, की तरफ झुकाव होगा, उतना ही अधिक उनकी उन्मुखता नौकरी पेशे के प्रति ज्यादा होगी। गलत सिद्ध होती है।

सामान्यीकरण– इस संदर्भ में निम्नांकित सुझाव प्रासंगिक होंगे–

1. इनके कार्योजन कार्य स्थल की परेशानियों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
2. इनके कारण परिवार एवं वैवाहिक जीवन शैली में हो रहे बदलाव को परिवार एवं समाज को पूरे मनोयोग से स्वीकारना होगा।
3. जीवनशैली में जो बदलाव हुए है भारतीय समाज में इनकी आर्थिक परिस्थितियों का निरूपण करने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण संरचना में महिला श्रम और उसकी सहभागिता को विवेचित किया जाए।
4. इनका प्रत्येक समाज में एक स्थान होता है इनकी प्रस्थिति का आकलन बंद होना चाहिए। 5. लैंगिक समानता को बढ़ाने वाले सामाजिक विधानों का कड़ाई से पालन हो।
6. इनके प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव लाने होगें।
7. कार्योजित महिलायें आत्मविश्वास से ओत–प्रोत हो अपनी क्षमता एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से कर सके ऐसे प्रयास हो।
8. विधानों के द्वारा अत्यधिक सजग एवं जागरूक हुई है।
9. पिछले कुछ दशकों में महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो।
10. वर्तमान समय में कार्योजित महिलायें अपनी क्षमता से बढ कर कार्य कर रही है और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ

1. व्यास, मीनाक्षी, समकालीन भारतीय समाज समस्याएं और समाधान।
2. मुकर्जी, रविन्द्र नाथ, सामाजिक विचारधारा काम्ट से मुकर्जी तक विवेक प्रकाशन यू ए जवाहर नगर नई दिल्ली, 1984, समकालीन उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धान्त विवेक प्रकाशन यू ए जवाहर नगर नई दिल्ली, 2005।
3. लवानियाँ, एम. ए., समाजशास्त्रीय अनुसंधान तर्क व विधियाँ, रिसर्च एवं पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003, सैद्धान्तिक समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर ।
4. मुकर्जी, रविन्द्र नाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी अथवा सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली।
5. अहूजा, राम अहूजा मुकेशः समाजशास्त्र विवेचन और परिपेक्ष्य।
6. दुबे, श्यामा चरण, शिक्षा, समाज और भविष्य, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट, लिमिटेड 2/38 अंसार मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली।
7. कपिल, एच. के., सांख्यिकी के मूल तत्व, सामाजिक विज्ञानों में, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
8. गुप्त, नत्थूलाल, मूल्यपरक शिक्षा और समाज, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000 मानव मूल्य संस्कृति और साहित्य, मोहित पब्लिकेशन,दरियागंज, नई दिल्ली।
9. सक्सेना, एन.आर. स्वरूप, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त,सूर्या पब्लिकेशन, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ , 2003।

Cite this Article-

'कृष्ण मोहन, डॉ0 रश्मि पाण्डेय", 'संगठित क्षेत्र में कार्योजित महिलाओं के प्रति बदलते परिवार का दृष्टिकोण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume: 1, Issue: 04, July-August 2025.
Journal URL- https://www.shodhpith.com/index.html
Published Date- 14 July 2025
DOI-10.64127/Shodhpith.2025v1i40012